

पर्या डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर

टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

हरण संख्या - 364/2024

बदाम :

1. अश्विन पुत्र रुघवीर सिंह जाति जाट निवासी गिर्जावाली मेर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. रुघवीर सिंह पुत्र हुकमाराम जाति जाट निवासी गिर्जावाली मेर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा

88 राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955

उपरिस्थिति:- 1 अधिवक्ता श्री सुभाषचन्द्र गर्ग

:- वादी

2 अधिवक्ता करनैलसिंह

:- प्रतिवादी

डिक्री

दिनांक... 29/11/24...



आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग व करनैलसिंह अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि प्रतिवादी रुघवीर के नाम से चकनं० 4 एम.जैड डबल्यू के खाता सं० 121/125 में कुल 1.215 है० आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं० 4 एम.जैड डबल्यू के खाता सं० 121/125 में प्रतिवादी रुघवीर का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्या डिक्री आज दिनांक 29/11/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर

टिब्बी

